



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-266

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 285561 दिनांक 27/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Asha Meena W/o Sitaram Meena	श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री हरसहाय शर्मा	22	128.00 SQ. YARD	Private	R G HAVENS CITY	Name Transfer	आवेदिका श्रीमती आशा मीना पत्नी श्री सीताराम मीना द्वारा निजी खातेदारी की योजना आर.जी. हेवेन्स सिटी के भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 128 वर्गगज के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 128 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 03.07.2015 को श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री हरसहाय शर्मा के पक्ष में जारी की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 06.02.2024 को उक्त भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 128 वर्गगज श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री हरसहाय शर्मा द्वारा श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री राम गोपाल गुप्ता को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया।  
तत्पश्चात दिनांक 25.02.2026 को उक्त भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 128 वर्गगज श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता द्वारा श्रीमती आशा मीना पत्नी श्री सीताराम मीना को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Asha Meena W/o Sitaram Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |